न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

मु. नं.– 08/24 राजन्ती देवी बनाम जगनी देवी वगैरह

किस्ममुकदमा–प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.2.24	यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा, प्रार्थी अभिभाषक श्री विक्रम सिंह गुर्जर एडवोकट ने प्रस्तुत किया। प्रार्थी अभिभाषक ने बहस में प्रार्थना पत्रानुसार अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् निवेदन किया। प्रार्थीया की एकपक्षीय बहस सुनी गई एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्ट्या (Prima-Facie) मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः उभय पक्ष आगामी तारीख पेशी तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की ग्राम बनावड तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 400/0.24 , 401/0.51, 994/0.15, 995/0.05, 997/0.16, 998/0.16, 999/0.15, 1001/0.03, 399/0.10 हैक्टेयर भूमि के वर्तमान मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर नोटिस प्रार्थना पत्र जरिये **Registered Ad.** वास्ते जाहिर करने वजह जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 28.3.24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर(दौसा)	
21/3/24	आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी पक्ष उपस्थित इस प्रा. पत्र से संबंधित मूलवाद Not Press के आधार पर खारिज हो चुका है। अतः इस प्रा. पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसलिए यह पत्रावली इसी स्तर पर खारिज कर बंद की जाती है। पत्रावली शामिल मूल वाद रहे। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	Not Press विक्रम सिंह नि. राजन्ती

Scanned with CamScanner